



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1938 (श10)
(सं0 पटना 679) पटना, शुक्रवार, 19 अगस्त 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

2 अगस्त 2016

सं० वि०स०वि०-25/2016-3478/वि०स०—“बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016”,
जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 02 अगस्त, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य
संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-14/2016]

बिहार राज्य के पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं पूर्णियाँ में पूर्णियाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना । — प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित मगध विश्वविद्यालय, बोधगया तथा भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को विभाजित कर पटना एवं पूर्णियाँ में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। साथ ही, बिहार राज्य के पुनर्गठन एवं झारखंड राज्य की स्थापना को ध्यान में रखते हुए झारखंड के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले विश्वविद्यालयों को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के उपबंधों से विलोपित किया जाना आवश्यक है। इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के कतिपय उपबंधों का संशोधन, कतिपय उपबंधों का जोड़ा जाना एवं कतिपय उपबंधों का विलोपन आवश्यक है।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । — (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 का संशोधन ।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-3 की उप-धारा (1) को निम्नवत् संशोधित किया जाएगा :-

- (1) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (घ), (ङ) (च) विलोपित किए जाएंगे।
- (2) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) को खंड (घ) के रूप में पुनर्संख्यांकित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
“(घ) मगध विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय बोधगया (गया) में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण मगध प्रमण्डल होगी”
- (3) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ज) एवं (झ) को क्रमशः खंड (ङ) एवं (च) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।
- (4) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ज) को खंड (छ) के रूप में पुनर्संख्यांकित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
“(छ) भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय मधेपुरा में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण कोशी प्रमण्डल होगी।”
- (5) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ट) एवं (ठ) क्रमशः खंड (ज) एवं (झ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किए जाएंगे।
- (6) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) के बाद निम्नलिखित दो नए खंड (ज) एवं (ट) जोड़े जाएंगे :-
“(ज) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित तिथि से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी जिसका मुख्यालय पटना में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता, पटना प्रमण्डल के पटना (पटना विश्वविद्यालय की अधिकारिता में पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालन्दा जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता होगी।”
“(ट) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना अधिसूचित तिथि से, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी जिसका मुख्यालय पूर्णियाँ में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण पूर्णियाँ प्रमण्डल की क्षेत्रीय अधिकारिता होगी।”

3. व्यावृत्ति ।—बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 (1) में ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त धारा-3

(1) के द्वारा या के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारवाई उक्त धारा-3 (1) के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 (1) में संशोधनों के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा की जाएगी।

उद्देश्य एवं हेतु

प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित मगध विश्वविद्यालय, बोधगया तथा भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को विभाजित कर पटना एवं पूर्णियाँ में एक-एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। साथ ही, बिहार राज्य के पुनर्गठन एवं झारखण्ड राज्य की स्थापना के फलस्वरूप झारखण्ड के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले तीन विश्वविद्यालयों का विलोपन भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में वर्णित प्रावधानों से किया जाना आवश्यक है। इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-3 (1) में तदनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है। राज्य में पटना एवं पूर्णियाँ में एक-एक नये विश्वविद्यालयों की स्थापना कराया जाना तथा झारखण्ड के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले तीन विश्वविद्यालयों का विलोपन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में वर्णित प्रावधानों से कराया जाना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

(अशोक चौधरी)
भार साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 02.08.2016

सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 679-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>